राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(13)ग्रावि/नरेगा/ह.रा./09–10 जयपुर, दिनांक : 19 JAN 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थार।

विषय :– हरित राजस्थान एवं पर्यावरण सुधार के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के कियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.08.09, 10.09.09, 23.09.09, 01.10.09 एवं 12.11.09

महोदय,

उक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत दिनांक 10.09.09 को योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग की उपस्थिति में माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक उपरान्त उसी दिन बैठक कार्यवाही विवरण जारी कर दिनांक 23.09.09 को यह स्पष्ट किया गया था कि, जो नरेगा श्रमिक सडक मार्ग के निकट निवास करता हो, उसके द्वारा सडक सीमा में निश्चित दूरी में पौधे लगाने, संधारण, सुरक्षा एवं जल आपूर्ति करने के वृक्षारोपण के कार्य आगामी वार्षिक कार्य योजना 2010–11 में सम्मिलित किये जावे। प्रति परिवार रूपये 10000/– की श्रम राशि में लगाये जाने वाले रोड साईड पौधों की संख्या निर्धारित कर लेवे ताकि एक नरेगा पंजीकृत परिवार वर्ष पर्यन्त उन पौधों की सुरक्षा/वाटरिंग आदि कर सके। योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से राज्य की समस्त सडकों के दोनों ओर सडक सीमा के सहारे रोड साईड प्लान्टेशन के सघन वृक्षारोपण के कार्य लिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, ताकि योजना कियान्वयन का मूर्त रूप आमजन को स्पष्ट दृष्टिगोचर हो एवं दूरदराज के निर्जन स्थानों पर किये जाने वाले असुरक्षित वृक्षारोपण से कार्यक्रम की असफलता नहीं हो। साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड के स्थान पर स्थानीय साधन यथा पौधे के चारो ओर रिंगपिट एवं झाड़ झंखाड लगाये जावे एवं ऐसे पौधे अधिक लिये जावे जिनकी पशुओं द्वारा चराई कम या नहीं की जाती हो।

यह भी स्पष्ट किया गया था कि अभ्यारणय एवं वन क्षेत्र में इकोरेस्टोरेशन के कार्य हेतु फोरेस्ट क्लोजर्स बनाने के कार्य भी जिले की इकजाई श्रम सामग्री अनुपात 60:40 सीमा में रखते हुए स्वीकृत किये जा सकते है। सामग्री प्रधान इस कार्य के साथ साथ श्रम प्रधान वृक्षारोपण कार्य हेतु बॉक्स ट्रेन्च प्लान्टेशन (box trench plantation) के कार्य भी लिये जा सकते है।

इसी कम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की सामुदायिक चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटवाकर उसके चारों ओर पर्याप्त चौडाई की खाई खुदवाकर चारागाह की सीमा चिन्हित कर उसके अंदर सुरक्षित वृक्षारोपण के कार्य भी बिना ट्री गार्ड पर व्यय किये नरेगा योजनान्तर्गत बडे पैमाने पर लिये जा सकते हैं।

इसी कम में विकेन्द्रीकृत पौधशालाएं विकसित करने एवं पंजीकृत वन सुरक्षा एवं वन प्रबन्ध समिति के माध्यम से वृक्षारोपण किये जाने के दिशा–निर्देश भी जारी किये गये थे।

यह सब वृक्षारोपण के वे कार्य हैं जिन पर किया गया व्यय निष्फल नहीं जायेगा एवं एवं हरित राजस्थान योजना का राज्य को सही लाभ मिल सकेगा।

उक्त के संबंध में आप द्वारा जारी स्वीकृतियों एवं नरेगा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2010–11 में उक्त कार्यों को सम्मिलित करने हेतु अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावे। साथ ही जुलाई, 2009 से 31.12.09 तक हरित राजस्थान कार्यक्रम के संबंध में संलग्न प्रारूप में रिपोर्ट भिजवाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं वानिकी विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (राजस्थान)
8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

<u>हरित राजस्थान</u> कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट

जिले का नाम---------------- माह---------------- वर्ष----------------

(रू. लाखों में)

क्र.सं.	विभाग / संस्था का नाम	माह तक स्वीकृत कार्यों की सं.	माह तक स्वीकृत कार्यों की लागत (रूपये लाखों में)	माह तक प्राप्त कर लगाये गये पौधों का विवरण				कुल लगाये गये पौधों की संख्या 5 + 7= 9	माह तक किये गये पौधारोपण एवं संरक्षण में हुआ व्यय लाखों में				माह तक कुल व्यय (रू. लाखों में) 6+8+10+ 11+12+13=14	माह के अन्त तक कुल जीवित पौधों की संख्या	माह तक सडक किनारे लगाये गये पौधे (कि. मी. में)	माह तक लगाये गये पौधे (हैक्टेयर में)	विशेष विवरण
				वन विभाग		प्राईवेट नर्सरी			पौधों को लगाने पर व्यय	पौधों के संरक्षण हेतु ट्री गार्ड/ फैंसिंग आदि पर व्यय	पौधों के रख रखाव / पानी आदि पर व्यय	अन्य व्यय					
				पौधों की संख्या	राशि रू. लाखों में	पौधों की संख्या	राशि रू. लाखों में										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ग्राम पचायत																
2	वन विभाग																
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग																
4	स्वयंसेवी संस्थाऐं																
5	अन्य कार्यकारी विभाग																
	योग																

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक